हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001

ई मेल : exam@durguniversity.ac.in *वेब साइट : www.durguniversity.ac.in* *दूरभाष : 0788-2359300*

क्र. 1750/परीक्षा/वार्षिक/2020 दुर्ग, दिनांक 25.03.2020

प्रति,

प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष एवं समस्त परीक्षार्थी
सम्बद्ध समस्त परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय,
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विषयः– **नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर की वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल–मई 2020 स्थगित करने विषयक।**

संदर्भः– **1. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. 127/स.सा.प्र.वि./2020 महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर दिनांक 21.03.2020।**
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय का आदेश क्र. 40–3/2020/DM-I (A) दिनांक 24.03.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी निर्देशों के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली **समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल–मई 2020 आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा स्थगित परीक्षाओं की संशोधित समय सारणी पृथक से घोषित की जायेगी।**

इस संदर्भ में समस्त महाविद्यालय परीक्षार्थियों हेतु हेल्पलाईन नम्बर जारी करें ताकि समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा संबंधी जानकारी निरंतर उपलब्ध हो सके। परीक्षार्थी संशोधित समय–सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in से प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में अनावश्यक खबरों एवं अफवाहों से बचें ताकि छात्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

अद्यतन जानकारी हेतु **विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.durguniversity.ac.in का अवलोकन करें एवं** महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के हेल्पलाईन नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

संलग्नः– **1. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र की छायाप्रति।**
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र की छायाप्रति।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्र. 1751/परीक्षा/वार्षिक/2020 दुर्ग, दिनांक 25.03.2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ0ग0)।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन।
3. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, 492002 (छ0ग0)।
5. उ.कु.स., गोपनीय/परीक्षा/वित्त नियंत्रक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
6. कुलपति के सचिव/निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. मेसर्स लर्निंग स्पाईरल प्रा.लि., हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
8. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र, को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आगामी अंक में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

- **कोरोना वायरस (COVID-19) से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे दिशा–निर्देशों का पालन करें।**
- **कोरोना वायरस से खुद बचें तथा औरों को बचाएं।**

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांकः 127/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 21/03/2020

प्रति,

1. समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,
2. समस्त संभागायुक्त
3. समस्त कलेक्टर
4. समस्त विभागाध्यक्ष

विषयः—नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय छोड़कर समस्त शासकीय कार्यालयों को बंद किए जाने विषयक।

संदर्भः— शासन का आदेश क्रमांकः 123/स.सा.प्र.वि/2020, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/03/2020

——00——

राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से पूर्व में शासकीय कार्यालयों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश को संशोधित करते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि 31 मार्च 2020 तक राज्य स्तर पर समस्त भारसाधक सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास पर आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था करते हुए शासकीय कार्य का संपादन करें। विभाग/विभागाध्यक्ष कार्यालय के अन्य अधिकारी—कर्मचारीगण को न्युनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप कार्य में संयोजित किया जाए।

2/ संभाग स्तर, जिला स्तर पर स्थित शासकीय कार्यालयों में से कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल विभागों जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, एवं कानुन व्यवस्था बनाये रखने में सम्मिलित विभागों से संबंधित शासकीय कार्यालय जैसे संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाने/चौकी, फायरब्रिगेड, जेल इत्यादि, तथा बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ—सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को 31 मार्च तक संचालित न किया जाये।

3/ संचालित कार्यालयों में जनसाधारण को न आने के लिए प्रेरित किया जायें।

4/ अधिकारी — कर्मचारीगण को निवास से सदैव मोबाईल / टेलिफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहने के लिए निर्देशित किया जाये ताकि आवश्यकता होने पर कार्यालय में बुलाया जा सके।

5/ संचालित कार्यालयों में उपस्थित होने वाले अधिकारी — कर्मचारियों के लिए उपस्थित होने एवं कार्यालय से वापस जाने के समय में हर पाली में न्यूनतम 4 घंटे का अंतर रखा जाये ताकि भीड़—भाड़ में संक्रमण की संभावना कम की जा सकें।

6/ कार्यरत शासकीय अमले को निवास से कार्यालय तक स्वयं के आवागमन के साधन के माध्यम से आने जाने के लिए निर्देशित किया जाये।

7/ यह निर्देश विधानसभा पर लागू नहीं होगें।

8/ इन निर्देशो के संबंध में सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं संबंधित अधिकारी – कर्मचारीगण को भी अवगत कराया जाए।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 21/03/2020

कमांकः 128 /स.सा.प्र.वि/2020

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
4. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
10. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 24th March, 2020

ORDER

Whereas, the National Disaster Management Authority (NDMA), is satisfied that the country is threatened with the spread of COVID-19 epidemic, which has already been declared as a pandemic by the World Health Organisation, and has considered it necessary to take effective measures to prevent its spread across the country and that there is a need for consistency in the application and implementation of various measures across the country while ensuring maintenance of essential services and supplies, including health infrastructure;

Whereas in exercise of the powers under section 6(2)(i) of the Disaster Management Act, 2005, the National Disaster Management Authority (NDMA), has issued an Order no. 1-29/2020-PP (Pt.II) dated 24.03.2020 (Copy enclosed) directing the Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities to take effective measures so as to prevent the spread of COVID-19 in the country;

Whereas under directions of the aforesaid Order of NDMA, and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby issues guidelines, as per the Annexure, to Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities with the directions for their strict implementation. This Order shall remain in force, in all parts of the country for a period of 21 days with effect from 25.03.2020.

24/3/2020
Home Secretary

To

1. **The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India**
2. **The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories**
   (As per list attached)

Copy to:

i. All members of the National Executive Committee.
ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.